

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

दावा संख्या
149/2016

पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

रजू दिनांक
20.06.2016

निर्णय दिनांक
22.01.2021

उनवान

- 1 लालसिंह
- 2 भूपसिंह
- 3 शेरसिंह
- 4 अभय सिंह
- 5 जयसिंह पुत्र शिवलाल
- 6 चमेली
- 7 भागमती
- 8 भगोती उर्फ मोटी पुत्रीयान शिवलाल
- 9 बाबूलाल
- 10 सुबेसिंह
- 11 जसवन्त पुत्रान हरिसिंह
- 12 सुशीला
- 13 बादाम पुत्री हरिसिंह
- 14 मेहरचन्द पुत्र बुदा
- 15 पृथ्वीसिंह
- 16 रामकिशन
- 17 चरणसिंह पुत्र सोहन
- 18 रामकला पुत्री सोहन जातियान अहीर निवासी मंडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

- 1 अमीलाल पुत्र फूसार पुत्र दुरसा
- 2 सत्यवीर
- 3 जलदीप
- 4 अशोक पुत्रान श्री श्रीराम पुत्र फूसाराम पुत्र दुरसाराम जातियान अहीर निवासीयान मंडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
- 5 रोशनी श्री श्रीराम पत्नी शमसेर हाल आबाद निवासी खेडा तहसील रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा।

२५६—
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0



- 6 कविता पुत्री श्री श्रीराम पत्नी दयाराम हाल आबाद तेलपुरी तहसील पटोडी जिला रेवाडी हरियाणा।
7 विधा पत्नी श्री श्रीराम जाति अहीर निवासी मंडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादी

दावा:— अर्न्तगत धारा 88 एवं 89 राज0 काश्त0 अधिनियम


—: पर्चा डिक्री :-

दिनांक :- 22.01.2021

वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव व प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री अनिल यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.01.2021 को रामसिंह राजावत उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादीगण बहक वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाता है एवं आराजी हाल खसरा नम्बर 762 रकबा 0.98 है0 वाके ग्राम मंडा तहसील मुण्डावर में से 1 बीघा 2 बिस्वा मं से वादीगण 1 लगा0 8 को 2/3 भाग व वादीगण संख्या 09 लगा0 13 को 1/12 भाग व वादीगण सं0 14 को 1/12 भाग व वादीगण सं0 15 लगा0 18 को 1/6 के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुरूप हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0